न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 04/2018

प्रार्थीगण :-

1. हाजी खां पुत्र जमाल खां जाति सिन्धी (मुसलमान) निवासी सिन्धीनगर (कापरडा) तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री नरपतसिंह सोलंकी, अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांकः-** 19/11/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम सिन्धीनगर का मूल निवासी है तथा ग्राम सिन्धीनगर तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी की कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 331/4 रकबा 18 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है जिसकी ताईद में जमाबंदी की सत्यप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश है। प्रार्थी की खातेदारी की कब्जासुदा भूमि मूल खसरा सं. 331 का भाग रही है। जिसमें से प्रार्थी को उनके कब्जे अनुसार अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि नियमन की गई है तत्पश्चात नियमानुसार प्रार्थी के नाम खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। तदनुसार प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नियमन से पूर्व से लगाकर आज दिनांक तक कायम है। समक्ष अधिकारी द्वारा आवंटन से लेकर आज तक मौके पर उसी अनुसार काबिज है। इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु आदेशित करवाया जाना है। इस प्रकार माफिक मौके पर प्रार्थी का पुरातन कब्जा है। इसके उपरान्त अप्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शे में वादग्रस्त भूमि आज दिनांक तक अंकित/तरमीम नहीं की गई। इस बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कई बार शिकायत कर बताया गया कि वादग्रस्त भूमि को नक्शे में यथास्थान तरमीम/दर्ज नहीं होने के कारण आये दिन वादग्रस्त भूमि के संबंध में अतिक्रमण संबंधित विवाद बेवजह उत्पन्न हो रहे है जिसके चलते प्रार्थी के साथ कभी भी कोई विवाद संभव है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि को नियमानुसार राजस्व नक्शे में यथास्थान तरमीम करवाने के अधिकारी है। इसके उपरान्त आज दिन तक अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में कतई कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। जिस पर मजबूरन प्रार्थी की ओर से मौजूदा प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम सिन्धीनगर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 331/4 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ को राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार प्रार्थी के मौके पर स्थित कब्जा

कायम अनुसार यथास्थान राजस्व नक्शा में तरमीम दर्ज करने एवं मौके पर जाप्ता बौप कर मुटाम कायम करने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे तथा किसी प्रकार की अशांति होने की स्थिति में माकुल पुलिस इमदाद का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिन्धीनगर की वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खसरा सं. 331/4 रकबा 3.0095 हैक्टयर भूमि खातेदार हाजीखां पुत्र जमालखां के नाम दर्ज है। ग्राम सिन्धीनगर का राजस्व नक्शा (लट्ठा) में वर्णित खसरे की तरमीम अंकित है, तथा इस अनुसार वर्तमान नक्शा (भू नक्शा) में भी तरमीम अंकित है। पटवार मण्डल कापरडा की रिपोर्ट दिनांक 11.07.2025 की नक्शा लटठा की प्रति, भू नक्शा के अवलोकन पर पाया की जहां प्रार्थी का कब्जा है, उस अनुसार ही नक्शा लटठा एवं भू नक्शा में तरमीम अंकित है। अतः पत्रावली निस्तारित फरमाई जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा ग्राम सिन्धीनगर के खसरा नंबर 331/4 का मौके पर स्थित कब्जा अनुसार तरमीम हेतु निवेदन किया किन्तु तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट के अनुसार जहां प्रार्थी का कब्जा है उस अनुसार ही नक्शा लट्ठा एवं भू नक्शा में तरमीम अंकित होना बताया। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष पूर्व में अंकित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम भलीभांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 19/11/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा